फा.सं. : 1-6/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2010/खण्ड-XIV/ 2132 – 44

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Himachal Pradesh

(सामान्य प्रशासन शाखा/General Administration Branch)

धर्मशाला-176215 **20 अप्रैल, 2021**

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश सं. 1-6/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2010/खण्ड-XIV//2080-92 दिनांक 16 अप्रैल, 2021 का अधिक्रमण एवं COVID-19 के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए एवं इसके प्रसार की रोकथाम हेतु माननीय कुलपति महोदय ने कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशनभोगी मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/9/2014-Estt.A-III दिनांक 19 अप्रैल, 2021 को विश्वविद्यालय में अंगीकार करते हुए निम्नलिखित दिशानिर्देशों की अनुपालना करने के आदेश दिये हैं:-

i. उप कुलसचिव एवं इससे उच्च स्तर के अधिकारीगण नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे ।

ii. सहायक कुलसचिव एवं समकक्ष अथवा इससे निम्न स्तर के समस्त अधिकारी वास्तविक संख्या का 50% प्रतिशत ही नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे । संबंधित कार्यालय प्रमुख कार्य की आवश्यकता के आधार पर उपस्थिति की दर को प्रशासनिक आधार पर विनियमित (regulate) कर सकते हैं । इस संबंध में संबंधित नियंत्रक अधिकारी रोस्टर तैयार करेंगे जिससे कि रोस्टर के अनुसार 50% शिक्षकेतर स्टाफ को कार्यालय में बुलाया जा सके ।

iii. वे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जो रोस्टर के अनुसार कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे, वह कार्यालय समय के दौरान घर से कार्य करने हेतु दूरभाष एवं अन्य संचार माध्यमों से उपलब्ध रहेंगे ।

iv. कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय आने से तब तक छूट रहेगी जब तक कि उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर घोषित नहीं किया जाता है ।

v. दिव्यांग एवं गर्भवती महिला कर्मियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट होगी परंतु, वह आगामी आदेशों तक घर से कार्य करते रहेंगे ।

vi. कार्यालय आने वाले समस्त कर्मीगण COVID-19 कोरोना महामारी के संबंध में भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे जिसमें फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाये रखना, सैनेटाइजर का प्रयोग करना तथा समय-समय पर साबुन और पानी के साथ हाथ धोना इत्यादि शामिल रहेगा ।

vii. जहां तक संभव हो सके, विश्वविद्यालय में समस्त प्रकार की बैठकों का आयोजन ऑनलाइन / वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाये ।

viii. विश्वविद्यालय में बाहरी आगंतुकों के प्रवेश पर उचित रूप से कटौती की जाये ।

ix. विश्वविद्यालय के 45 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के कर्मियों को COIVD-19 वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जाती है ।

20/04/021

x. कार्यस्थल की साफ-सफाई, सैनेटाइटाइजेशन एवं विशेष रूप से अक्सर स्पर्श किये जाने वाले स्थानों का उचित सौनिइटेशन सुनिश्चित किया जाये ।

xi. संबंधित कार्यालय प्रमुख यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कार्य उपेक्षित (Unattended) न रहे ।

xii. संबंधित कार्यालय प्रमुख सामाजिक दूरी को बनाये रखने के उद्देश्य से कार्यालय समय में परिवर्तन कर सकते हैं ।

xiii. यदि कोई कर्मीगण तय किये गये रोस्टर के अनुसार ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से नियमानुसार अवकाश प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

xiv. कोई भी कर्मीगण सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानावकाश की स्वीकृति के बिना मुख्यालय को नहीं छोड़ेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर कर्मियों को कार्य स्थल / मुख्यालय पर उपस्थित देने हेतु निर्देश प्रदान किया जा सकता है ।

3. यह माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

(हेम राज)
कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)

निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित :

1. मानद निदेशक, हि.प्र.के.वि., सप्त सिंधु परिसर, देहरा, जिला कांगड़ा ।
2. विभिन्न स्कूलों के सभी अधिष्ठाता, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
4. वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धौलाधार परिसर, धर्मशाला ।
5. परीक्षा नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालय, धर्मशाला ।
6. विभिन्न विभागों के सभी विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
7. विभिन्न केन्द्रों के सभी निदेशक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ।
8. उप पुस्तकालय अध्यक्ष, हि.प्र.के.वि., अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर, जिला कांगड़ा ।
9. पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रो. एस.आर. रंगनाथन पुस्तकालय, सप्त सिंधु परिसर, देहरा, जिला कांगड़ा ।
10. निदेशक, कंप्यूटर सेंटर, हि.प्र.के.वि., धौलाधार परिसर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा ।
11. सिस्टम एनालिस्ट, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला- कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट को अद्यतन करने एवं उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित ।
12. कुलपति, हि.प्र.के.वि. के निजी सचिव- कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ ।
13. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर कर्मीगण- कृपया उपर्युक्त वर्णित निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के अनुरोध सहित ।

कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)